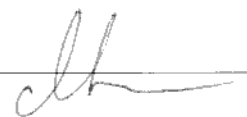


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज विकास व अन्य बनाम अकल कंवर दीवानी प्रकरण संख्या 19/2016 (सी.आई.एस.-34/2016)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.06.2026	वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थीगण विकास व अन्य के प्रार्थना पत्र दिनांकित 22.08.2025 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 सिविल प्रक्रिया संहिता पर सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया है कि वादी ने अपने वादपत्र व जवाबल जवाब में स्पष्ट उल्लेख किया है कि वादी के पूर्वज पिता के पिता के पिता स्व० किशनलाल जी थे तथा उनके द्वारा छोड़ी गई केन्द्रित सम्पत्तियां व राशिया गुमानमलजी को मिली, जिससे गुमानमलजी ने उक्त पैतृक सम्पत्तियों को क्रय किया है, जिससे यह पैतृक सम्पत्तियां प्राप्त हुई हैं। प्रकरण के विचारण के दौरान वादी को अपने पुराने दस्तावेजात में पैतृक सम्पत्तियों के सम्बंध में जो स्व० किशनलाल जी द्वारा समय समय पर क्रय की गई है, राशियां लगाई गई, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपियां जोधपुर पंजीयन अधिकारी से प्राप्त हुई है, जो कि इस सम्पत्ति के पूर्वजों के राशि से क्रय करने के बाबत स्पष्ट प्रमाण है, जिनकी प्रमाणित प्रतिलिपियां तलाश करने पर अभी प्राप्त हुई है जो वाद के दौरान खो गई थी, जिनका विवरण निम्न प्रकार है- 01. बेचान नामा तादादी 10000 रूपए सम्पादन तिथि 20.01.1975 जो फतेहसागर के पास कुंचामन की हवेली ब्लॉक-सी से सम्बन्धित है। 02. बेचान तादादी 10000 रूपए दिनांक 20.01.1975 ब्लॉक बी से सम्बन्धित 03. बेचान तादादी 10000 रूपए संपादन तिथि 20.01.1975 फतेहसागर के पास, कुंचामन की हवेली ब्लॉक एक से सम्बन्धित 04. हक-तर्क नामा दिनांक 20.01.1975 मकान, जमीन देवलिया की हवेली- लोहरों की गली में। वाद अभी प्रारम्भिक स्टेज पर है तथा पेश किए जा रहे दस्तावेज न्याय निर्णयन हेतु सुसंगत दस्तावेज है, जिन्हें रिकार्ड पर लिए जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थनापत्र के समर्थन में वादी रवि की ओर से स्वयं का शपथपत्र पेश किया गया है।	



जबकि बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या-3 व 4 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि वादी ने अपने वाद पत्र व जवाबुल जवाब में कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि स्व० श्री गुमानमल जी को उनके पिता स्व० किशनलाल जी द्वारा कोई जायदाद मिली हों। वादी ने स्वयं अपने वाद पत्र में यह स्पष्ट लिखा है कि विभाजन योग्य जायदाद स्वर्गीय श्री गुमानमल जी की हैं और उन्होंने अपने जीवनकाल में अपनी आय व व्यवसाय से सम्पत्तियां अर्जित की हैं, इसलिए वादी का यह कहना कि स्व० किशनलाल जी के द्वारा छोड़ी गई सम्पत्तियों से ही स्वर्गीय श्री गुमानमल जी ने कोई जायदाद खरीदी हो, अपने आप में असत्य है।

उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रार्थना पत्र की पद संख्या 3 में लिखे तमाम तथ्य असत्य बनावटी होने से अस्वीकार है, क्योंकि अव्वल तो वादी ने अपने वाद पत्र व अपने द्वारा प्रस्तुत जवाबुल जवाब में इस तथ्य का कतई उल्लेख नहीं किया कि स्वर्गीय श्री गुमानमल जी को जायदाद उनके पिता स्वर्गीय श्री किशनलाल जी से प्राप्त हुई और न वादी द्वारा जो दस्तावेजात प्रस्तुत किये जा रहे हैं, वे दस्तावेजात उक्त प्रकरण में सुसंगत व आवश्यक दस्तावेजात हैं, क्योंकि जो दस्तावेजात वादी प्रस्तुत करना चाहता हैं, उससे कोई भी बात तय नहीं हो रही है कि स्वर्गीय श्री किशनलाल जी द्वारा उक्त जायदाद स्वर्गीय गुमानमल जी को ही प्राप्त हुई हो, इसलिए उक्त दस्तावेजात कतई सुसंगत व आवश्यक दस्तावेज नहीं है और न उसका उक्त मुकदमें से कोई भी किसी भी तरह का सम्बन्ध ही है। वादी ने मात्र मुकदमें को लम्बा करने व गलत दिशा में ले जाकर उलझाने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो कतई चलने योग्य नहीं है, बल्कि हैवी कोस्ट के साथ खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण मात्र मुकदमें को लम्बा करने व अपने आपको गवाह के तौर पर प्रस्तुत करने में जानबूझकर देरी कर रहा हैं, इसलिए भी उक्त प्रार्थना पत्र हैवी कोस्ट के साथ खारिज किये जाने योग्य है।

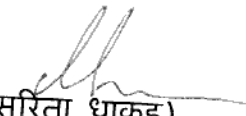
बहस पर मनन किया गया, बहस के सन्दर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि वादीगण की ओर से जो दस्तावेज प्रमाणित प्रतियां के रूप में हस्तगत प्रार्थनापत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर रिकार्ड पर लिए जाने का निवेदन किया जा रहा है उनकी प्रतियां पूर्व से ही पत्रावली में शामिल की हुई है, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत किए जा रहे दस्तावेज कोई नए नहीं है बल्कि पूर्व

में प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध नहीं होने से उनकी फोटोप्रतियां ही पत्रावली पर पेश किए जाने बाबत वादीगण का कथन रहा है तथा अब प्राप्त होने पर उक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई हैं। प्रकरण अभी साक्ष्य वादी की स्टेज पर ही नियत है, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत किए जा रहे दस्तावेजों पर उभय पक्षकारान को पूर्ण रूप से जिरह करने का अवसर रहेगा, यदि इस स्तर पर उक्त प्रमाणित प्रतियों को प्रकरण में रिकार्ड पर लिया जाता है तो प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है बल्कि प्रकरण के न्याय निर्णयन में ही सहायता प्राप्त होगी। हालांकि उक्त प्रमाणित दस्तावेज प्रार्थीगण की ओर से काफी विलम्ब से पेश किए गए हैं, ऐसी स्थिति में न्यायालय के विनम्र मत में प्रस्तुत किए जा रहे प्रमाणित दस्तावेजों को हर्जे पर रिकार्ड पर लिया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थनापत्र दिनांक 22.08.2025 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 सिविल प्रक्रिया संहिता 1000/- रूपए हर्जे पर स्वीकार किया जाकर प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां रिकार्ड पर ली जाती हैं। हर्जा अदायगी प्राथमिक शर्त रहेगी। आदेश सुनाया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 2/7/26 को पेश हो।


(सरिता धाकड़)

अपर जिला न्यायाधीश,
क्रम-2, कोटा